कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004
ई–मेलः–ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांकः एफ. 14( )2014 / बारां रोड्स / एफसीए / प्रमुवसं. / 240 दिनांक 21/01/2025

विशिष्ठ शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः–गोरधनपुरा से कालीमाटी सड़क निर्माण के वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
प्रस्ताव सं. FP/RJ/ ROAD/ 7000/2014)
संदर्भः–भारत सरकार पर्यावरण वन, एवं जलवायु परिवतर्वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्रांक 8बी / राज0 / 06 / 19 / 2015 / एफ.सी. / 225 दि. 04.08.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्र दिनाक 19.12.2024 से प्राप्त हुयी है जो निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	आक्षेप	प्रत्युत्तर
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में यूजर ऐजेसी द्वारा वचन बद्धता संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमिं अर्थात 2.98 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,84,867/– (2.98 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त की पालना के क्रम में यूजर ऐजेन्जी द्वारा ग्राम बिलेण्डी में समतुल्य गैर वन भूमि 2.98 है0 वन विभाग को उपलब्ध करा दी गई है जिसका वन विभाग के पक्ष में नामान्तकरण खोला जाकर वनखण्ड नियाणा के नाम अधिसूचित करा लिया गया है (प्रति संलग्न है।) यूजर ऐजन्सी द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों पर) पर निम्नानुसार जमा करायी गयी है। 1. 101022.00 दिनांक 15.03.2024 2. 489018.00 दिनांक 23.04.2019 कुल राशि 590040.00 जरिये ई चालान केम्पा खाते नई दिल्ली में जमा कराये जा चुके है। जमा रसीद की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राषि रूपये– 18.654 लाख (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत यूजर ऐजेन्सी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– निम्नानुसार जमा करा दी गई है। 1. 1865480 दिनांक 23.03.2019 2. 988705 दिनांक 15.03.2024 कुल राशि 28,54,185 रूपये जरिये ई चालान केम्पा खाते नई दिल्ली में जमा कराये जा चुके है। जमा रसीद की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी।	शर्त सख्या 5 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना सहित अंकित करने यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्वता संलग्न है।
शर्त संख्या 6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त सख्या 6 के तहत यूजर ऐजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः शर्त सं. 6 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्वता संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सं. 7 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, यूजर ऐजेन्जी द्वारा अवगत कराया गया है कि वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है। यूजर ऐजेन्सी की वचनवद्वता संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेष की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन	शर्त सं. 8 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एव राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशो की पालना हेतु अण्डर टेकिग प्रस्तुत की गई। पगति संलग्न है। प्रस्ताव मे यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 का उलंघन होना पाया गया। तदनुसार प्रचलित वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, निर्देशिका 2023 के पैरा 1.16 (ii) के क्रम में एवं दण्डात्मक क्षतिपूर्ति

	विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	वृक्षारोपण हेतु दिनांक 15.03.2024 को 2283348/– रूपये जरिये चालान द्वारा कैम्पा में ऑनलाईन जमा करा दी गई है। (प्रति संलग्न)
शर्त संख्या 9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देषों की पालन करेंगी।	शर्त सख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देषों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेज़ी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(के.सी.ए. अरूण प्रसाद)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2014/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं./241–43 दिनांक 21/01/25

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–शाहाबाद जिला बारां

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ( )एफसीए/समुवसं/2024–25/ 7569 दिनांक 19/12/24

निमित्त:–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
(एफसीए), राजस्थान, जयपुर।

विषय:– गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम मे। Proposal No.:-FP/RJ/ROAD/7000/2014

प्रसंग:– उप वन संरक्षक, बारां का पत्रांक 6814 दिनांक 10.07.2024 एवं आपका पत्रांक 1486 दिनांक 11.06.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से चाही गई सूचनाएं निम्नानुसार है:–

S. No.	EDS	Repaly
1	आप द्वारा पालना सीधे ही बिना अपनी बिन्दुवार पालना के प्रेषित की गयी है जो कि उचित नही है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार पालना प्रेषित करें।	उवसं, बारां के पत्र कमांक 585 दिनांक 24.05.2024 से भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दूवार पालना मय अण्डरटेंकिग व समस्त दस्तावेजो के साथ प्रेषित है।
2	प्रस्ताव मे दिनांक 04.08.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है लगभग पालना 8 वर्षों बाद पालना भेजी गयी है। पालना प्रेषित करने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करें। उप वन संरक्षक, बारां की बिन्दुवार पालना एवं No Violation Certificate अप्राप्त है।	प्रस्ताव मे दिनांक 04.08.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में कैम्पा मद मे जमा करायी जाने वाली राशि की राज्य सरकार से स्वीकृति एवं साख–सीमा माह अप्रेल 2019 में प्राप्त होने के कारण यूजर एजेन्सी द्वारा पालना रिपोर्ट प्रेषित करने मे विलम्ब हुआ। उवसं, बारां के पत्रांक 5851 दिनांक 24.05.2024 को भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार पालना मय अण्डरटैकिग व समस्त दस्तावेजों के साथ प्रेषित है। तथा उक्त प्रकरण [illegible] CA का उल्लघंन हो चुका है। [illegible] के पत्र दिनांक [illegible] बारां के पत्रां[illegible] दिनांक 22.01.

Signature valid
Digitally signed by Ra[illegible]Karan Khairwa
Designation: Chief [illegible]servator Of Forest
Date: 2024.12.[illegible] 18:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12543224

		2024 को दण्डात्मक राशि जमा कराने हेतु यूजर एजेन्सी को डिमाण्ड नोट जारी किया गया था जिसके क्रम में यूजर एजेन्सी ने दिनांक 14.03.2024 को चालान यूजर एजेन्सी द्वारा Violation स्वीकृति करने के पश्चात दण्डात्मक राशि जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है। यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 55 दिनांक 18.04.2024 को सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना उवसं, बारां को प्रेषित की गई अतः NO Violation Certificate का प्रश्न नही उठता है।
3	NGT आदेशों के प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखबार में छाया (प्रकाशित) कर प्रति संलग्न की जानी है।	उवसं, बारां के पत्र क्रमांक 5851 दिनांक 24.05.2024 को भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार पालना के साथ आदेशों कि प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखबार मे छायाप्रति प्रकाशित कर यूजर एजेन्सी द्वारा छाया प्रति संलग्न कर दी गई है।
4	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि की नोटिफिकेशन प्रति संलग्न नही है।	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि 103.4 है0 ग्राम बिलेन्डी तहसील अन्ता में प्राप्त हुई है। जिसके नोटिफिकेशन के प्रस्ताव दिनांक 12.06.2024 को वनखण्ड नियाणा के रूप में नोडल अधिकारी fca को प्रेषित किये गये।
5	समेकित 103.4 है. का डिजीटल मानचित्र संलग्न नही है।	पूर्व मे प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दूवार पालना के साथ संलग्न है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक0 एफ( )एफ.सी.ए./समुवसं/2024–25/ 7570 दिनांक 19/12/24

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

2 उप वन संरक्षक, बारां।

Signature valid
Digitally signed by Ra[illegible] Karan Khairwa
Designation: [illegible] Conservator of Forest
Date: 2024.12.[illegible] 18:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12543224

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453-230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2024–25/6814 दिनांक 10-7-24

निमित्तः–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :–गोरधनपुरा से कालीमाटी सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/7000/2014 (2.98 ha)

संदर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक,FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर के पत्र कमांक 1486 दिनांक 11.06.2024 एव आपका पत्र कमांक 3749 दिनांक 09.07.2024 के कम मै तथा इस कार्यालय के पत्र कमांक 5851 दिनांक 24.05.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि है सन्दर्भित पत्र से चाही गई बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है।

1	आप द्वारा पालना सिधे ही विना अपनी बिन्दुवार पालना के प्रेषित की गई है जो कि उचित नही है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूण बिन्दुवार पालना प्रेषित करें।	इस कार्यालयय के पत्र कमांक 5851 दिनांक 24.05.2024 को भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूण बिन्दुवार पालना संभागीय मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित की गई है। (मय अण्डरटैकिंग व समस्त दस्तावेजो के साथ)
2.	प्रस्ताव में दिनांक 04.08.20216 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। लगभग पालना 8 वर्षो बाद पालना भेजी गई हे। पालना प्रेषित करने में हुए विलम्भ का कारण स्पष्ट करे । उप वन संरक्षक की बिन्दुवार पालना एवं NO Violation Certificate अप्राप्त है।	प्रस्ताव में दिनांक 04.08.20216 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में केम्पा मद में जमा करायी जाने वाली राशि की राज्य सरकार से स्वीकृति एवं साख – सीमा माह अप्रेल 2019 में प्राप्त होने के कारण यूजर एजेन्सी द्वारा पालना रिपोर्ट प्रेषित करने में विलम्ब हुआ। इस कार्यालयय के पत्र कमांक 5851 दिनांक 24.05. 2024 को भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूण बिन्दुवार पालना संभागीय मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित की गई है। (मय अण्डरटैकिंग व समस्त दस्तावेजो के साथ) तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 19.08.2020 को FCA का उल्लंघन हो चुका है। MOEF के पत्र दिनांक 29.जनवरी 2018 के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमांक 536 दिनांक 22.01. 2024 को दण्डात्मक राशि जमा कराने हेतु यूजर [illegible] डिमान्ड नोट जारी किया गया था जिसके क[illegible]यूजर एजेन्सी ने दिनांक 14.03.2024 को चाल[illegible]र एजेन्सी द्वारा Violation स्वीकृति करने के [illegible]ण्डातमक

Recd
19/12

		राशि जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है। यूजर एजेन्सी के पत्र कमांक 55 दिनांक 18.04.2024 को सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्दुवार पालना इस कार्यालय में प्रेषित की गई। अतः NO Violation Certificate का प्रश्न नही उठता है।
3.	NGT आदेशो कि प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखवार में छाया प्रति (प्रकाशित) कर प्रति संलग्न की जानी है।	इस कार्यालयय के पत्र कमांक 5851 दिनांक 24.05.2024 को भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूंण बिन्दुवार पालना के साथ NGT आदेशो कि प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखबार में छाया प्रति (प्रकाशित) कर यूजर एजेन्सी द्वारा छाया प्रति संलग्न कर दी गई है।
4.	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि की नोटिफिकेशन प्रति संलग्न नही है।	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि 103.4 है0 ग्राम बिलेन्डी तहसील अन्ता में प्राप्त हुई है। जिसके नोटिफिकेशन के प्रस्ताव दिनांक 12.06.2024 को वन खण्ड नियाणा के रूप में नोडल अधिकारी FCA को प्रेषित किये गये है।
5	समेकित 103.4 है0 का डिजीटल मानचित्र संलग्न नही है।	पूर्व में प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूंण बिन्दुवार पालना के साथ दिनांक 24.05.2024 को भिजवा दिये गये है।

अत :सम्पूर्ण विन्दुवार पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषत है।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024 –25/6815-16 दिनांक 10-7-24

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर।
2.अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

RajKaj Ref
8908744

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No., 07453-230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023–24/ 5851 दिनांक 24-5-2024

निमित्तः–

सांभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :– गोरधनपुरा से कालीमाटी सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भः– अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद के पत्र कमांक 55 दिनांक 18.04.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ के पत्र कमांक 225 दिनांक 04.08.2016 को प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :–

क्र.स.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ मे अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.98 है0 गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष मे प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.98 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,84,867/– (2.98 है0 Rs. 1,29,159 प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवष्यक धन राषि 2.98 है0 164100/– रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 489018/– रू. केम्पा नई दिल्ली मे दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। 101022/– केम्पा मद नई दिल्ली मे दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या	शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या

RajKaj Ref
8908744

Scanned with CamScanner

	5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राषि रूपये– 18.654 लाख (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राषि रू. 1865480/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। अवशेष राशि रू. 988705/– एवं दण्डात्मक राशि रू. 2283348/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 988705/– एवं राशि रू. 2283348 कुल राशि रू. 3272053/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आषय का वचनवद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराषि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धन राषि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देषांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्षायी जाएगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 7 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आषय का वचनवद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (छळज) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेष की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनो तरफ तथा Median (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।
शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा	शर्त संख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं

RajKaj Ref
8908744

Scanned with CamScanner

	2 दैनिक समाचार पत्रो (हिन्दी व अंग्रेजी) मे प्रकाशित करा समाचार पत्रो की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां
दिनांक 24-5-2024

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/5852
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1.अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (व) नोडल अधिकारी राज0 जयपुर।
2.अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

RajKaj Ref
8908744

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :— pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 55

दिनांक : 18/4/2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
बारां।

विषय :— जनदप बारन में आर0आर0एस0एम0पी0 योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/7000/2014) गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

प्रसंग :— आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/2020—21/9320 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तो को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :—

क्र.सं.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टेकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.98 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.98 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,84,867/— (2.98 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त सख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है0 X 164100/— रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 489018/— रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022—23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 101022/— की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 101022/— कैम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर बारां द्वारा गैर वन भूमि आवंटित करवाते समय सभी परियोजनाओं में आने वाली वन भूमि का संभावित क्षैत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित 103.40 है. वन भूमि में से विभिन्न परियोजनाओं के लिये वास्तविक भूमि आवंटित करने के पश्चात् भी 12.43 है. गैर वन भूमि अधिशेष रहती है।

RajKaj Ref
8908744

शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये– 18.654 लाख (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1865480/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 988705/– एवं दण्डात्मक राशि रू. 2283348/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 988705/– एवं राशि रू. 2283348 कुल राशि रू. 3272053/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 7 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग	शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।

RajKaj Ref
8908744

	की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	
शर्त संख्या 9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त संख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8908744

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :— pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8908744

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

क्रमांकः— एफ—4(5)(30) राजस्व/2014/ [illegible] दिनांकः— 7 फरवरी, 2017

— आदेश —

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 है0 गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र कमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ—4(5)(30)राजस्व/2014/5614—20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट—अपार्ट) की गई है।

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र कमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/14—15/16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक/एफ—4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528—29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप—3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.—3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न0	रकबा (है0)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			113	9.58	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड
			138	10.81	बंजड
			149	3.63	बंजड
			8 किता	62.24	
2		सोरसन	1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा
			1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा
			2 किता	38.91	
3		ताखा	368	2.25	गैर मुमकिन बरडा
		कुल योग	11 किता	103.40 है0	

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(डॉ. एस. पी. सिंह)
जिला कलक्टर
बारां

क्रमांकः— एफ—4(5)(30) राजस्व/2014/ [illegible] दिनांकः— 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप—3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारां।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
बारां

RajKaj Ref
8908744

Scanned by CamScanner

Land to be allotted to Forest Department

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4		
	Old Cases					
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY			18
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	[illegible] से मदरगाँव		
				[illegible] से मोहनपुर	1.50	
				योग	2.60	
	New Cases				4.10	
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	छिपाबड़ौद से मदनपुरखेड़ी वाया हरिपुरा		
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा धरनावदा सड़क	3.00	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	13.58	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेड़ा	0.61	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माधोपुरा से जेतपुरा	3.20	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	डिकोनिया से तलावड़ा	4.00	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से डिरो	7.50	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेती	4.00	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच.-76 किमी. 573/0 से मुंगा	2.50	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से ब्रबरा	2.60	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	परडा से जेसवा	0.5[illegible]	
12	Shahbad	~~Kishanganj~~ SBD	RIDF-XVII (RSAMB)	यज्ञशाला से बनगवा	4.00	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	ऊनी केदारकुई से सिलोरा	5.20	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा	3.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाड़ा से किशनपुरा	1.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा	3.00	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी	0.50	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	पीलखेडा डांग से पाटन	2.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल	1.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ से रनवासी	7.00	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा	2.50	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी	0.80	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रामगढ काला पट्टा सडक किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा	3.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह	2.00	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकडाई से मामली वाया दुर्जनपुरा	4.20	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सडक	1.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सडक (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी	3.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	4.00	
					3.25	

RajKaj Ref 8908744

D:\MY DOCUMENT\Documents and Settings\SM\September__2014\Forest\Copy of forest_information__17 Coloumns_Circle Baran_11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खजली मालिया	1.02	
30	NH Division	Atru		सिगनी जागीर	1.21	
31	NH Division	Chipabarod		बरखेड़ा	0.44	
32	NH Division	Chipabarod		कालाणी जागीर	1.66	
33	NH Division	Chipabarod		रामपुरा	4.02	
				योग	98.24	
				कुल योग	102.34	

(सुनील माथुर)
अधीक्षण अभियंता
सा.नि.वि. [illegible]

RajKaj Ref
8908744

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 09, मंगलवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 01, *2024*

Asvina 09, Tuesday, Saka 1946- October 01, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 23, 2024

संख्या प. 2(46)वन/2023:-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व नही किये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्है लेखबन्द किया जाना आवश्यक है। परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादक में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुये सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ओफिसर को पूर्वोक्त वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा व्यक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्है लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती है। तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11, (1) 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 को उपधारा (3) कि परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वनभूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विषेष के वर्तमान अधिकारो में किसी भी प्रकार की कमी नही आयेगी। और न उन पर कोई प्रभाव प्रडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरो को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का

संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न - प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,
विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र. स.	नाम वनखण्ड	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा विवरण	नाम ग्राम	खसरा नं.	क्षैत्रफल हैक्टर मे	भूमि किस्म
1	बिलेण्डी नियाना भाग 1	अंता	बारां	उतर:- राजस्व भूमि ख न. 119 व 118 दक्षिण:- सरहद ग्राम मानपुरा पश्चिम:- वनखण्ड सोरसन ए पूर्व:- राजस्व भूमि ख न. 132,118,151 व 152	बिलेण्डी	114	5.80	गै. मु. बरडा
						115	9.58	गै. मु. बरडा
						116	7.70	गै. मु. बरडा
						138	10.81	गै. मु. बरडा
						149	3.63	गै. मु. बरडा
					योग	**5**	**37.52**	
	बिलेण्डी नियाना भाग-2	अंता	बारां	उतर:- सरहद ग्राम मोहम्मदपुरा दक्षिण:- राजस्व भूमि ख न. 38 व 40 पश्चिम:- राजस्व भूमि ख. न. 15 पूर्व:- वनखण्ड सोरसन ए	बिलेण्डी	39	13.20	गै. मु. बरडा
					योग	**1**	**13.20**	

	बिलेण्डी नियाना भाग 3	अंता	बारां	उतर:- राजस्व भूमि ख न. 38 व 40 दक्षिण:- राजस्व भूमि ख न. 43 व 44 पश्चिम:- राजस्व भूमि ख. न. 28 व 29 व 54 पूर्व:- वनखण्ड सोरसन ए	बिलेण्डी	41	5.00	गै. मु. बरडा
						42	6.52	गै. मु. बरडा
					योग	2	11.52	
					महायोग	8 किता	62.24	

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक,
बारां

द्वितीय अनुसूची

पेडो की सूची

क्र.स.	बोटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Anogeissus pendula, Wall	धौकडा, धौ, फलधी, धोक
2	Acacia catechu Willd	खैर
3	Balanites roxburghi, Roxb	हीगोट
4	Butea mono sperma, Koenig	फलास, खाखरा, छोला
5	Emblica officinalis	आंवला
6	Cassis, Fistula Linn	अमलतास
7	Diospyros melanoxylon, Rech	तेन्दू टेमरू
8	Madhuca latifolia, Roxb	महुआ
9	Tectona grandis, Linn	सागवान
10	Termincalia arjuna, Bedd	अर्जुन, कोहडा
11	Moringa oleifera	सेजना
12	Holoptelea integrifolia, Planch	चुरेल, कुंज, कांज

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक,
बारां

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

प्रमाण पत्र

जिला:- बारां

तहसील:- अन्ता

रेंज:- अन्ता

वनखण्ड: बिलेण्डी नियाना भाग 1, 2 व 3

ग्राम:- बिलेण्डी

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी वन भूमि का वर्गीकरण राजस्व रिकार्ड में महकमा जंगलात कर दिया गया है। जिस विज्ञप्ति में विस्तृत रूप से खसरा नम्बर विवरण सहित दर्शाया गया है।
2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण विकास कार्यो कराये जाने की सम्भावना है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षो का घनत्व 0.0 से 0.2 है।
4. सीमावृती क्षेत्र की स्थिति खातेदारी नदी, नाले व वन भूमि है। तथा सीमा का उल्लेख एवं खसरा नं. व रकबा विज्ञप्ति में दर्ज कर दिया गया है।
5. वनखण्ड का मानचित्र नक्शा संलग्न है। जिसमें खसरा नं. व रकबा दर्ज है। एवं जी.टी. शीट की छायाप्रति संलग्न है।
6. प्रस्तावित वनो के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों को कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीये गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिद्व हो सकें।
7. राजस्व अभिलेखो में अमलदरामद वन विभाग के नाम हो रहा है।
8. उक्त क्षेत्र अधिसूचित सोरसन कन्जर्वेशन रिजर्व प्रथम का हिस्सा है।
9. उक्त भूमि विभिन्न सड़क परियोजनायो (संलग्न सूची) में आई वन भूमि के बदले आवंटित गैर वन भूमि है। चूकि उक्त आदेश में इस वन मंडल अधीन वन संरक्षण अधिनीयम 1980 के तहत चल रहे 24 प्रकरणो में इकजाई 103.40 हे0 भूमि का आवंटन हुआ है। संलग्न आदेश है।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक,
बारां

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला [illegible] बारां द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार [illegible] वनभूमि (103.40 है0) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि [illegible] कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगता है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर [illegible] से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.स.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.60
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक (नरेन्द्र शर्मा) (व.र.)

2 नाका प्रभारी 06/01/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

क्षेत्रीय वन अधिकारी
अन्ता जिला बारां

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी

6/1/17

2 कानूनगो

6-1-17

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारां

(अशोक सनाढ्य)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8908744

Scanned by CamScanner

Online Help/Query

Status of the Payment made by User Agencies

▽ **Help**

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.

Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉ Proposals received on or after 15th July 2014 ○ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :	Jaipur	**Select State :**	Rajasthan
Select User Agency :	Select		
Payment Status :	◉ Paid ○ Unpaid ○ All		
Bank Name :	--Select All--	**Mode of Payment :**	--Select All--
Transaction Date (From) :		**Transaction Date (To) :**	
Enter value for Search :	7000		

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/7000/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/7000/2014) Road from Gordhanpura to Kali mati	ROAD70002014368	04 Aug 2016	CA: 101022/- , Addl CA : 0/- PCA: 2283348/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 988705/- , NIL : 0/- NIL : 0/- NIL : 0/- NIL : 0/- Total : 3373075/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 05 Feb 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 19 Feb 2024 Transaction Date : 15 Mar 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/26012024141133184_FPRJROAD70002014_User_Fund_Demanc Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD70002014368)
2	FP/RJ/ROAD/7000/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/7000/2014) Road from Gordhanpura to Kali mati	ROAD70002014758	04 Aug 2016	CA: 489018/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1865480/- , Total : 2354498/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 16 Apr 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 17 Apr 2019 Transaction Date : 23 Apr 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/4111412251211R6XDLGordhanpuratoKaliMati.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD70002014758)

verify

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.)
राजस्थान, जयपुर

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है0 X 164100/– रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 489018/– रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 101022/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 101022/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर बारां द्वारा गैर वन भूमि आवंटित करवाते समय सभी परियोजनाओं में आने वाली वन भूमि का संभावित क्षैत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित 103.40 है. वन भूमि में से विभिन्न परियोजनाओं के लिये वास्तविक भूमि आवंटित करने के पश्चात् भी 12.43 है. गैर वन भूमि अधिशेष रहती है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8908744

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8908744

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :— pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1865480/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 988705/– एवं दण्डात्मक राशि रू. 2283348/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 988705/– एवं राशि रू. 2283348 कुल राशि रू. 3272053/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8908744

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :— pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8908744

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां
ईमेल :— pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से करवाकर गैर वन भूमि का हस्थानान्तरण वन को कर दिया जायेगा । प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8908744

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि गोरधनपुरा से कालीमाटी सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नही होगी।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8908744

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :– pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8908744

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :— pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP
Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

(हरि प्रसाद मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

RajKaj Ref
8908744

der documents and all other
e downloaded from the website

Director (Tender Inviting Authority)

"SUPPLY OF STORES ITEMS THROUGH E- PROCUREMENT TENDERS"

20/28 Date: 09.09.2020

...th Western Railway, headquarter 4th ..., Jaipur-302017 for and on behalf of ... nders on **www.ireps.gov.in** site as ... 14.25 hrs.

...m	Qty	Unit	Due date
BRAKE ... STOCK	14605	Nos.	29.09.2020
BOTTOM	1059	Nos.	06.10.2020
...E BEARER	14038	Nos.	06.10.2020
SHANK	1842	Nos.	06.10.2020

...DUM

Tender ...ice No.	Amended Clause	Existing Due Date	Amended Date
...2020-28	Due Date	10.09.2020	29.09.2020

...may visit the website for Full ... tender cost etc. All tenderers are ... et them registered on above site and ... participating in other tenders such ... ...akh, limited tenders, special limited ... visit **www.ireps.gov.in**. (3) For any ... ...ion centre, click our website

Dy. CMM/III

...ilways NWRailways

...RN RAILWAY

...airs of Special Trains

To	Day	Date
Ajmer ... 14:20 Hrs.	Daily	From 12.09.20
Jabalpur ... 08:35 Hrs.	Daily	From 13.09.20
Jaipur ... 12:40 Hrs.	Daily	From 12.09.20
...rayagraj ... 05:25 Hrs.	Daily	From 13.09.20
Lalgarh ... 05:45 Hrs.	Daily	From 12.09.20
...arh ... 5:55 Hrs.	Daily	From 15.09.20
Bikaner ... 06:50 Hrs.	Sunday, Friday	From 13.09.20
...shvantpur ... 03:15 Hrs.	Tuesday, Sunday	From 15.09.20
Sarai Rohilla ... 05:20 Hrs.	Daily	From 12.09.20
...odhpur ... 19:15 Hrs.	Daily	From 13.09.20
Mysore ... 15:30 Hrs.	Monday, Wednesday	From 14.09.20
...aipur ... 06:15 Hrs.	Thursday, Saturday	From 17.09.20
...us central ... 11:35 Hrs.	Daily	From 12.09.20
...hiwani ... 09:25 Hrs.	Daily	From 13.09.20

...ebsite "www.indianrail.gov.in" ... ...ed accommodation is available ... to follow all protocols related to ... ...ancing etc.

754-AJ/20

...ays NWRailways

PETRONET LNG LIMITED, DAHEJ

Petronet LNG Limited (PLL) invites bids from experienced and financially sound contractors for following services at Petronet LNG Ltd., Dahej (Gujarat).

1. Painting of LNG Storage Tanks
2. Replacement of GI Roof Sheet
3. Maintenance Dredging Services

Interested parties are requested to visit our website **www.petronetlng.com** for detailed eligibility criteria along with other necessary details for issuance of Tender document.

Note: PLL reserves the right not to issue the tender document and / or accept or reject any or all the bids at any stage of the process and/or modify the process without assigning any reasons at its sole discretion. No separate notification shall be issued in press. Bidders are requested to visit the website regularly to keep themselves updated.

Deputy General Manager (C&P)

PETRONET LNG LIMITED

GIDC Industrial Estate, Plot No. 7/A, Dahej, Taluka Vagra,
Distt. Bharuch 392130, Dahej, Gujarat, Tel No. 02641-570232/233/235/201
E-mail id - **materials@petronetlng.com**

...that none of its officials entered the premises by threatening or roughing up the security guard or anyone else.

The "Queen" actor's recent remark comparing Mumbai to Pakistan-occupied-Kashmir (PoK) has drawn the ire of the Shiv Sena which controls the BMC besides leading the ruling coalition in Maharashtra.

The action by the BMC followed Ranaut's public tiff with the party. PTI

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340, 2324047, 2324025 Email : (Env) ro_env@rediffmail.com, (Forest) gcimoefrolko@gmail.com

पत्र सं. 8बी/राज./06/19/2015/एफ.सी./225

दिनांक : 04.08.2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर।

ऑनलाईन आवेदन संख्या – FP/RJ/Road/7000/2014

विषय :- [illegible] 2.98 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, [illegible] एफ.सी./प्रमुख/1971, दिनांक 06.07.2016 [illegible] (Baran Road)/2014/

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का [illegible] (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति [illegible] ऑनलाईन उपलब्ध करायी गयी है। [illegible] प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 04.12.2015 द्वारा [illegible] मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान [illegible] मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि [illegible] 2.98 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन [illegible]

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा [illegible] 2.98 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों [illegible] रुपये 3,84,[illegible] 2.98 हे. x रुपये 1,29,150 [illegible] प्रदान की जायेगी।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु [illegible] (163.4 हे.) [illegible] किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय [illegible] 202/1995 [illegible] दिनांक 05.02.2009 [illegible] 18.654 लाख (2.98 हे. x रुपये 6.26 लाख प्रति हे.) [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible] Backward and Forward [illegible]
8. [illegible] (NGT) [illegible] 16.11.2015 [illegible] 27/2015 [illegible] Median पर [illegible]
9. प्रयोक्ता अभिकरण [illegible] F.C/ROC/05-2011/Part-V/1127 दिनांक [illegible]

भवदीय

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

Rajkal Ref ... 8908744

पत्रिका ब्यूरो

रिवर्तन
मध्य)
d Climate
Region)
, लखनऊ-226024
Aliganj, Lucknow-
2434, 2324025
oimoefrolko@gmail.com
दिनांक :- 23.08.2016

/6954/2014

त जलवाड़ा से किशनपुरा तक
 पातन की अनुमति हेतु।
ी, जयपुर का पत्रांक-एफ 14
क 06.07.2016

का आशय ग्रहण करने का
ण) अधिनियम, 1980 की
गी है एवं अतिरिक्त सूचना
ई गई है।
का निर्देश हुआ है कि केन्द्र
तहत जलवाड़ा से किशनपुरा
 बिना वृक्षों के पातन की

गा।
त वन क्षेत्र के समतुल्य गैर
0 वर्षो तक रखरखाव हेतु
हुए यथासंशोधित) रूपये-
दिल्ली में जमा की जाएगी।
विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण
 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि
रने के पश्चात इस कार्यालय

भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324347, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं. 8बी/राज./06/19/2015/एफ.सी./225 दिनांक :- 04.08.2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)

सिविल सचिवालय राजस्थान शासन जयपुर।

<u>ऑनलाइन आवेदन संख्या- FP/RJ/Road/7000/2014</u>

विषय :- जनपद बारन में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक-एफ 14 (Baran Road)/2014/एफ.सी.ए./प्रमुवसं/1971, दिनांक 06.07.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक <u>-09 फरवरी 2016</u> को ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक :- 04.12.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गई है जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या पर विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बारन में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.98 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये-3,84,867/- (2.98 हे ×Rs.1,29,150 हे.) में जमा की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल

दिल्ली में जाम की जाएगी।
विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण
में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि
करने के पश्चात इस कार्यालय
लिया गया है, उसका डिजिटल
य के रिट पिटीशन (सिविल)
गर के पक्ष संख्या 5-3/2007-
शानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य
.xRs. 6.26 Lakh per
ई धनराशि की ऑनलाईन
लागू हो) की छायाप्रति सहित
की गई धनराशि का मदवार
न्य हेतु जमा धनराशि का
वत स्वीकृति पर विचार किया
सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन
न 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी.
क डी.जी.पी.एस. निर्देशांक,
निकटवर्ती पीलरों से दूरी
प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा
ता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि
हरित अधिकरण (NGT)
015 बाबूलाल जाजू बनाम
आदेश की अनुपालना में
की निगरानी में सड़क के
रोपण किया जाएगा।
अविष्य में योजना पर लागू
ष्ट परिपालन आख्या इस
1227 दिनांक - 02 फरवरी,
यम, 1980 के तहत विधिवत
तान्तरण की कार्यवाही राज्य
स्तान्तरण के विधिवत आदेश
भवदीय
(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

3,84,867/- (2.98 हे.x**Rs.1,29,150 हे.**) में जमा की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पक्ष संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये-18.654 लाख (2.98 **ha.xRs. 6.26 Lakh per ha.**) में जमा की जाएगी।

इसके उपरांत पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. /एन.एफ.टी (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

6. विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, **Backward and Farward bearing** एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

8. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (**NGT**) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक -16.11.2015 में दिए गए आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता में अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा **Median** पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दूवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-**II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227** दिनांक - 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

...शित। सम्पादक कुश कुमार मिश्रा फोन नम्बर 07453-231509, 236563, Email Id : patrikabeauro@gmail.com

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022–23/ 536 दिनांक 22/1/25

निमित्तः–

अधिशाषी अभियन्ता
सा0 नि0 वि0 खण्ड शाहबाद।

विषय :– जनपद बारां में आर.आर.एस.एन.पी. योजना के तहत गोरधनपुरा से कालीनाटी सड़क के निर्माण हेतु 2.98 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में
Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD /7000/2014 (2.98ha)

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय लखनउ का पत्र क्रमांक 225 दिनांक 04.08.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गोरधनपुरा से कालीनाटी सड़क के निर्माण हेतु 2.98 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ का पत्र क्रमांक 225 दिनांक 04.08.2016 को जारी की गई थी ।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या–2 के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @252 से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @259 से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.98	164100	489018	2.98	198000	590040	489018	101022

2. बिन्दु संख्या – 4 के (क) के क्रम में NPV की राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार तत्समय प्रचलित दर से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार NPV की वर्तमान नवीन दर से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.98	626000	18654680	2.98	957780	2854185	1865480	988705

3. FCA उल्लंघन के क्रम में MOEF के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डातमक राशि
   a. उल्लंघन की दिनांक– 19.08.2020
   b. कुल प्रभावित क्षेत्रफल – 2.98 हे0
   c. NPV की राशि – 957780 प्रति हैक्टर
   d. शास्ती की गणना 19.08.2020 से

2.98x 4x 957780= 11416738/-

   e. यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्ती के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।

11416738x(20/100)= 2283348

RajKaj Ref
8908744

Scanned by CamScanner

4. कुल राशि का विवरण

क्र. सं.	मद का नाम	चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि	590040	489018	101022
2	NPV की राशि	2854185	1865480	988705
3	दण्डात्मक राशि	2283348	0	2283348
	योग	5727573	2354498	3373075

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि **101022 + 988705 + 2283348 = 33,73,075** रू. केम्पा मद Online e- portal (https://parivesh.nic.in/) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.अतिःप्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक,कोटा।
3.अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0बारां।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

RajKaj Ref
8908744

Scanned by CamScanner